

New Railways Line from Bongaigaon to Gauhati Via Jogighopa

*636. SHRIMATI RENUKA DEVI BARKATAKI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the proposal to construct a railway line from Bongaigaon via Jogighopa-Goalpara to Gauhati on the south bank of Brahmaputra is under consideration of Government; and

(b) if so, when do Government expect to take a decision?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE):

(a) and (b). Surveys for the construction of (i) Jogighopa/Pancharatna-Dudhnai-Darangiri and (ii) Gauhati-Dudhnai rail links, which together provide rail link between Bongaigaon and Gauhati via Jogighopa, have recently been completed and the survey reports are under examination. Decision regarding the construction of this rail link will be taken after the examination of survey reports is completed.

Supply of Mobile Oil to Farmers at Reduced Prices

*637. SHRI HARIKESH BHADUR: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government propose to give relief to the farmers by reducing price of Mobile oil which is required for the machines used for irrigation purposes and the price of which has been increased considerably; and

(b) if so, when?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA):

(a) There is no such proposal at present.

(b) Does not arise.

गत दो वर्षों के दौरान माल की धोखे से डिलीवरी लेना

* 638. श्री ईश्वर चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में जाली रेलवे रसीदें दिखाकर रेलवे से धोखाधड़ी से माल की डिलीवरी लेने की घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार और क्या इन घटनाओं से रेलवे कर्मचारी भी सम्बद्ध थे; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) 1975-76 और 1976-77 के दौरान इस प्रकार के क्रमशः 36 और 18 मामलों की सूचना मिली है। इन मामलों में 28 रेल कर्मचारियों के शामिल होने की रिपोर्ट भी मिली है ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से, यह सुनिश्चित करने के लिए हिदायतें मौजूद हैं कि :

(1) रेलवे रसीद की पुस्तकों को भंडार में रखने के लिए वैसे ही प्रबन्ध किए जाने चाहिए जैसे रोकड़, तथा पैसे से सम्बन्ध रखने वाली अन्य पुस्तकों के लिए किए जाते हैं और रेलवे रसीद तैयार करने वाले कर्मचारियों को रेलवे रसीद की पुस्तकों के दिये जाने की विधि का कड़ाई से नियंत्रण किया जाना चाहिए :

(2) मुद्रणालयों तथा मुख्य भण्डार डिपुओं में सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्धों की विशेष रूप से देखभाल की जानी चाहिए ।

(3) प्रत्येक माल गोदाम का या पार्सल कार्यालय में रेलवे रसीद पुस्तकों को एक मनोनीत जिम्मेदार कर्मचारी की अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए तथा उसकी अभिरक्षा में